

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]
No. 71]

दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2015/ज्येष्ठ 25, 1937
DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2015/JYAISTHA 25, 1937

[ग.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41
[N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जून, 2015

फा. सं. 3/4/2015/जीएडी/समन्वय/डीएसजीएडी iii/2456-2466.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1993 के नियम 3 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित विभागों का प्रभार श्री कपिल मिश्रा, मंत्री को आबंटन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. विधि, न्याय व विधायी कार्य
2. पर्यटन
3. कला, संस्कृति एवं भाषाएं
4. गुरुद्वारा चुनाव
5. जल

श्री कपिल मिश्रा, मंत्री को उपरोक्त विभागों के आबंटन के कारण पूर्व मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह तोमर को अधिसूचना संख्या फा. सं. 3/4/2015/जीएडी/समन्वय/डीएसजीएडी iii/452-462 दिनांक 16.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 3/4/2015/जीएडी/समन्वय/डीएसजीएडी iii/1532-1542 दिनांक 10.04.2015 के तहत दिये गये सभी विभागों के आबंटन को रद्द किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम से एवं आदेशानुसार
अरविन्द रे, प्रधान सचिव,

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)**

NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2015

No. F. 3/4/2015/GAD/CN/dsgadiii/2456-2466.—In exercise of powers conferred under Rule 3 of the Govt. of NCT of Delhi (Allocation of Business Rules, 1993, the Lt. Governor of Delhi is pleased to approve allocation of the following portfolio to Sh. Kapil Mishra, Minister:-

1. Law, Justice & Legislative Affairs.
2. Tourism.
3. Art, Culture & Languages.
4. Gurdwara Elections.
5. Water.

Consequent upon allocation of the aforesaid portfolio to Sh. Kapil Mishra, Minister, the portfolio earlier allocated to Sh. Jitinder Singh Tomar, former minister *vide* notification No. F. 3/4/2015/GAD/CN/dsgadiii/452-462 dated 16.02.2015 and F.3/4/2015/GAD/CN/dsgadiii/1532- 1543 dated 10.04.2015 stands cancelled.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

ARVIND RAY, Pr. Secy.

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 जून, 2015

सं. फा. 16(443)/श0वि0/जल/2014/383.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अधीन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिनांक 13.1.2012 के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में स्वागतकर्ता एवं टेलिफोन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में बनाए गए विनियम आम सूचनार्थ निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

दिल्ली जल बोर्ड में स्वागतकर्ता एवं टेलिफोन ऑपरेटर के पद के भर्ती तथा पदोन्नति विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (क) इन विनियमों को स्वागतकर्ता एवं टेलिफोन ऑपरेटर के पद के (भर्ती तथा पदोन्नति) विनियम दिल्ली जल बोर्ड, 2015 कहा जाए।
2. आवेदन :- यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट पद के लिये लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. **नियमित सेवा** :- किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अवधि या अवधियाँ जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् दी गई है तथा इसमें वह अवधि या अवधियाँ भी सम्मिलित होंगी जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड ड्यूटी पद धारित है लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा की स्थिति में ऐसे पद को धारण करने के लिए अवधि उपलब्ध नहीं होगी।
7. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
8. **बचाव** :- इन विनियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. **निरसन** :- दिनांक 24.11.1982 की दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या 09(22)/82-एलएसजी-7485 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से रद्द समझा जाएगा।

“अनुसूची”

दिल्ली जल बोर्ड में स्वागतकर्ता एवं टेलिफोन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	स्वागतकर्ता एवं टेलिफोन ऑपरेटर
2.	पदों की संख्या	:	05* (2013) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ग"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेतन समूह-1, 5200-20200 / -रुपये (ग्रेड पे 2400 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति: वेतन समूह-1 में 5200-20200 / -रुपये + ग्रेड पे 1900 / -रुपये में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले टेलिफोन ऑपरेटर/सहायक वायरलेस ऑपरेटर में से जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से टेलिफोन/वायरलेस तथा पब्लिक के प्रचालन तथा अनुरक्षण में 10 दिनों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ग" वर्गीय विभागीय पदोन्नति 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) 2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), अधीक्षण अभियन्ता (तथा मैकेनिकल) - सदस्य

		3. संयुक्त निदेशक (राजस्व) - सदस्य 4. सहायक आयुक्त (डी)/सहायक आयुक्त (बी) - सदस्य सचिव
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रकाश चन्द्रा, संयुक्त सचिव (जल)

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th June, 2015

No. F. 16(443)/UD/W/2014/383.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of sub-section (2) of Section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority's orders dated 13.01.2012 necessary for appointment to the post of Receptionist- cum-Telephone Operator in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely :-

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF RECEPTIONIST-CUM- TELEPHONE OPERATOR IN DELHI JAL BOARD

- Short title and commencement.**- These regulations may be called the Receptionist- cum- Telephone Operator, in Delhi Jal Board (Recruitment and Promotion) Regulations, 2015 .
- Application.**- They shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.
- Number of post, classification and scale of pay.**- Number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications.** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,
 - who has entered or contracted marriage with person having a spouse living ; or
 - who having a spouse living , has entered into or contracted marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Regular service .- " Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection, in accordance with the prescribed, procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for him being on leave or otherwise not being available for holding such post.

7. Power to Relax. - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**-Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. **Repeal.**- Delhi Administration's Notification F.9/22/82-LSG-7485 dated 24/11/1982 stands superseded from date of issue of this Notification.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts.	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Receptionist-cum Telephone Operator	05. (2013) Subject to variation dependent on workload.	Category 'C'	PB-1 Rs. 5200-20200 with (Grade pay Rs. 2400/-). (As per 6 th CPC)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8.	9.	10.	11.	12.	13.
Not applicable.	Not applicable	By Promotion	Promotion: Telephone Operators/Assistant Wireless Operator with 8 years regular service in the grade of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900/-and have successfully completed 10 days training in operation and maintenance of telephone/wireless and public from DJB institute.	<u>Category 'C' Departmental Promotion Committee</u> 1. Director (Administration and Personnel)- Chairman 2. Superintending Engineer (Civil)/ (Electrical and Mechanical) : Member 3. Joint Director(Revenue): Member 4. Assistant Commissioner(D)/Assistant Commissioner(B) : Member Secretary	Consultation with necessary.

2626 DG115-2

By Order in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi

PRAKASH CHANDRA, Jt. Secy. (MB)

(शहरी विकास विभाग)

सं. फा. :16(449)/श.वि./जल/2014/384:- दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 27.8.1969 की अधिसूचना संख्या 2(102)69-एलएसजी के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों को, दिल्ली जल बोर्ड में **श्रम कल्याण अधिकारी** के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड श्रम कल्याण अधिकारी के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2015 कहा जाये।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन समूह एवं वेतन ग्रेड/वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :-** इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

"अनुसूची"

1.	पदनाम	:	श्रम कल्याण अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	01(2013) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये (ग्रेड पे 5400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक छूट) नोट:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p>अनिवार्य :</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से श्रम कल्याण विषय सहित अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य, श्रम कल्याण, औद्योगिक सम्पर्क या कार्मिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा;</p> <p>(2) किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संस्था या कारखाना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में श्रम कल्याण कार्य, औद्योगिक सम्पर्क या कार्मिक प्रबन्धन में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(1) कम से कम 5000 श्रम बल रखने वाले संगठन में औद्योगिक विवाद तथा उनके समाधान श्रम कानून के प्रवर्तन विषयतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के संचालन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)/विलयन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / विलयन:</p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी या सांविधिक निकाय या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन समूह-2 में 9300-34,800/-रुपये + ग्रेड वेतन 4600/-रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित, तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले:-</p>

		<p>टीप -1: केवल केन्द्र /राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र तथा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी विलयन आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र होंगे ।</p> <p>टीप-2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टीप 3:- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी सिवाए उसके जहां पूर्व संशोधित वेतनमान में एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड में समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में सम्मिलित कर दिया गया हो तथा जहां इस लाभ को केवल उस पद/पदों के लिए, जिसकी ग्रेड वेतन/ वेतनमान सामान्य परिवर्तित ग्रेड में बिना किसी उच्चीकरण के लागू हो।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>"क" वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति (स्थाईकरण पर विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष 2. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य 3. निदेशक (ए एण्ड पी) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रकाश चन्द्रा, संयुक्त सचिव (एम.बी)

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

No. F. 16(449)/UD/W/2014/384.—The following Regulations made by Delhi Water Board which in exercise of powers conferred by clause (M) of sub-section(2) of Section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration notification No.F.2(102)69-LSG dated the 27th August, 1969 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of the competent authority and Union Public Service Commission, for regulating the method of recruitment to the post of Labour Welfare Officer in Delhi Jal Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) - These regulations may be called Delhi Jal Board Labour Welfare Officer the Recruitment and Promotion Regulation, 2015.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.-** The number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
 (a) who has entered or contracted a marriage with person having a spouse living ; or
 (b) who having a spouse living , has entered into or contracted marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:
- Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to Relax.**-Where the Government of National Capital Territory of Delhi is to the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving :-** Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post.	Classification	Pay band & grade pay/Pay scale	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
Labour Welfare Officer	01* (2013) *Subject to variation dependent on work-load.	Category 'A'	PB-3, Rs.15,600-39,100 plus (Grade Pay of Rs. 5400).	Not applicable	Not exceeding 35 years Note 1: (relaxable for government servants and employees of Delhi Jal Board upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 2: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	ESSENTIAL:- (I) Master's Degree in Economics/Social Science with Labour Welfare as a subject from a recognized University/ Institute; OR A post graduate Degree or diploma in social work, Labour welfare, Industrial relations or personal management from a recognized university/institute; (II) Three years practical experience in Labour Welfare work, Industrial relations or personal management in a Government department or public sector undertaking/semi government or autonomous or statutory organization or in any private limited company governed by the Factory Act, 1948. DESIRABLE : (I) Two years experience in handling of Industrial Dispute and their settlement and of enforcement of Labour laws particularly the Minimum Wages Act and the Industrial Dispute Act in an organization having the labour force of at least 5000. NOTE 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

2626 DG/15-3

						<p>NOTE 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8.	9	10	11	12	13.
Not applicable.	One year for direct recruitment	By Deputation (including short-term-contract)/absorption failing which by direct recruits.	<p>DEPUTATION (ISTC)/Absorption:</p> <p>Officers under the Central/State Govt./UTs/Universities/Recognized Research Institution/Public Sector Undertakings/Semi-Government or Statutory bodies or Autonomous organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 of Rs.9300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/department; AND</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitments under column 7.</p> <p>Note 1: Officers of only Central/State Govts./UTs and Delhi Jal Board shall be eligible for consideration for appointment to the post on absorption basis.</p> <p>Note 2: Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	<p>Category 'A'</p> <p><u>Departmental confirmation committee</u> (for confirmation consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chief Executive Officer, DJB — Chairman Member (Administration), DJB —Member Director (A&P) —Member 	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			<p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006. The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	---	--	--

By Order in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PRAKASH CHANDRA, Jt. Secy. (MB)